मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग

निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल,
58 अरेरा हिल्स, भोपाल– 462 011

अपील क्रमांक ए–187/रासूआ/19–4/2006/भोपाल

श्री आर0जी0गुप्ता **अपीलकर्ता**
बंगला नं ई 407/ सेक्टर ई.
मोगली गार्डन के पास, मीनाल रेसीडेंसी
जे0के0रोड, इन्द्रपुरी, भोपाल

विरूद्ध

डा0श्रीमती अरूणा गुप्ता **लोक सूचना अधिकारी**
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी,
मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल

(आदेश दिनांक 27 जुलाई, 2006)

श्री आर0जी0गुप्ता ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत की है । अपीलकर्ता ने मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल के लोक सूचना अधिकारी से निम्न जानकारी मांगी थी –

''(अ) 24.5.1974 से लगातार 4.4. 2002 तक की प्रतिवर्ष गोपनीय चरित्रावलियों की प्रतियां

(ब) 24.5.1974 से लगातार 4.4.2002 तक की सेवा पुस्तिका की प्रतियां

(स) छानबीन समिति में प्रस्तुत प्रतिवेदन अभिलेखों सहित व की गई टीप, प्रतिवेदन में प्रत्येक स्तर पर की गई विवेचना एवं परीक्षण संबंधी अभिलेख/टीप आंकलन हेतु आधार मानी गई मार्गदर्शिकाओं की प्रति तथा अयोग्य/योग्य निर्धारण हेतु उपयुक्त साक्ष्य संबंधी जानकारी । समस्त जानकारी आर0जी0गुप्ता कार्यपालन यंत्री (विद्युत) के बारे में ।''

2. लोक सूचना अधिकारी ने अपीलकर्ता को अपने पत्र क्रमांक 118/काप्र/बोर्ड 2006 दिनांक 16 जनवरी, 2006 के व्दारा सूचित किया था कि उसे दिनांक 24.5.74 से लगातार 4.4.2002 की प्रतिवर्ष की गोपनीय चरित्रावली एवं छानबीन समिति में प्रस्तुत प्रतिवेदन अभिलेखों सहित की गई टीप प्रतिवेदन के प्रत्येक स्तर पर की गई विवेचना

एवं परीक्षण संबंधी अभिलेख/टीप आंकलन के आधार पर मानी गई मार्गदर्शिका की प्रति तथा अयोग्य/योग्य निर्धारण हेतु उपयुक्त लक्ष्य संबंधी जानकारी आंतरिक गोपनीय दस्तावेज होने के कारण उपलब्ध नहीं कराये जा सकते हैं । जहां तक सेवा पुस्तिका की छाया प्रति उपलब्ध कराने का प्रश्न है उसे उसके व्दारा नियमानुसार रूपये 144/– का शुल्क जमा कराने पर दी जा सकती है ।

2. लोक सूचना अधिकारी के पत्र में जो आदेश दिया गया है उनसे असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने एक अपील अपीलीय अधिकारी एवं आयुक्त मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल को प्रस्तुत की थी । आयुक्त ने अपीलकर्ता की अपील इस आधार पर निरस्त की कि इस प्रकार की सूचना को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 11–37/05/ए/9 दिनांक 6 फरवरी, 2006 के प्रावधानों के अनुसार प्रदाय किया जाना संभव नही है ।

3. इस प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह है कि क्या अपीलकर्ता से संबंधित गोपनीय प्रतिवेदन एवं छानबीन समिति का विवरण प्रदान किया जा सकता है। इस विषय पर लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र बब्बर को सुना गया । इस विषय पर कोई विवाद नही है कि अपीलकर्ता ने जो जानकारी मांगी है वह व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी में आती है जो सामान्यतः सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी बाध्य नही है जब तक कि उसका संबंध किसी लोक क्रियाकलाप या लोकहित से न हो या जब तक कोई व्यापक लोकहित सन्निहित न हो ।

4. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने अपने तर्क दो बिन्दुओं पर किये हैं । उनका यह कहना है कि अपीलकर्ता ने जो जानकारी मांगी है वह लोकहित में दी जाना आवश्यक है इस संबंध में उन्होने सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के कई प्रकरणों का उदाहरण प्रस्तुत किया है । अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि स्टेट आफ यू0पी0 विरूद्ध राजनारायण (ए0आई0आर0 1975 सुप्रीम कोट 861) में ब्ल्यू बुक जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा संबंधी निर्देशों का संकलन है, को साक्ष्य में प्रस्तुत किए जाने के संबंध में विचार किया गया था और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 और 162 की विवेचना की गई थी । इन निर्देशों के प्रस्तुत किए जाने के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 का सहारा लेते हुए राज्य शासन ने राज्य के क्रियाकलापों से संबंधित अप्रकाशित दस्तावेज़ होने के कारण इसे न्यायालय के समक्ष न प्रस्तुत करने का निर्णय किया था । उच्चतम न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 162 पर विचार करते हुए यह निर्णय दिया था कि संबंधित दस्तावेज़ का न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है । दस्तावेज़ का अवलोकन करने के बाद न्यायालय यह निर्णय ले सकता है कि दस्तावेज़ का साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है या नहीं । यह भी निर्णय लिया जा सकता है कि यदि कोई अंश सुरक्षा की दृष्टि से हानिकारक नहीं है तो उसे प्रस्तुत किया जा सकता है और शेष को

गोपनीय घोषित किया जा सकता है । स्पष्टतः इस प्रकरण का कोई संबंध गोपनीय चरित्रावली या छानबीन समिति की जानकारी देने से संबंधित नहीं है ।

5. अपीलकर्ता ने दूसरा प्रकरण काशीनाथ दीक्षित विरूद्ध यूनियन आफ इंडिया (ए0आई0आर0 1996 सुप्रीम कोर्ट 2118) की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है । यह प्रकरण विभागीय जांच से संबंधित है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अपीलकर्ता को दस्तावेज़ और बयानों को प्राप्त करने का अधिकार है । अपीलकर्ता के लिए यह दस्तावेज़ और बयान प्रकरण में साक्षियों के जो साक्ष्य लिये गये थे उनको कूट परीक्षण के लिये आवश्यक थे इसलिये यह जानकारी दी जाना आवश्यक बताई गई थी । यह प्रकरण विभागीय जांच से संबंधित है जबकि मेरे समक्ष जो अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जानकारी मांगने के लिये प्रस्तुत की गई है वह गोपनीय चरित्रावली की प्रति को प्राप्त करने के संबंध में है जिसका विभागीय जांच से कोई संबंध नही है । अतः यह प्रकरण भी इस विषय से संबंधित नहीं है ।

6. इसके साथ ही साथ उन्होंने गुजरात राज्य विरूद्ध रमेश चन्द्र (ए0आई0आर0 1977 सुप्रीम कोर्ट 1619 एवं यूनियन आफ इंडिया विरूद्ध चन्द्रमोहन निगम (ए0आई0आर0 2977 सुप्रीम कोर्ट 241)के प्रकरणों की ओर भी मेरा ध्यान आकर्षित किया है । ये दोनों ही प्रकरण विभागीय जांच से संबंधित है । इसलिए इस प्रकरण की विषय–वस्तु से संबंधित नहीं है । श्री रामदेव विरूद्ध हरियाणा सरकार (1978 (2) एस0एल0आर0 68) भी विभागीय जांच से संबंधित है । यह प्रकरण भी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) से संबंधित नही है ।

7. सूचना का अधिकार अधिनियम एक विशिष्ट अधिनियम है और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है यदि जिस विषय पर सूचना मांगी गई है, वह सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) के अन्तर्गत नहीं आती है । इस अधिनियम की धारा 8 (1)(जे) में यह प्रावधान है कि व्यक्तिगत सूचना के संबंध में जानकारी देने के लिए लोक प्राधिकारी बाध्य नहीं है जब तक उसका संबंध लोक क्रियाकलाप या लोकहित से न हो या जिसमें लोकहित सन्निहित न हो । अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने ऐसे कोई निर्णय मेरे समक्ष प्रस्तुत नही किये हैं जिसमें यह दर्शाया गया है कि गोपनीय चरित्रावली के बारे में जानकारी देना किसी भी प्रकार से लोक क्रियाकलाप या लोकहित से संबंधित है या इसको घोषित करने में व्यापक लोकहित सन्निहित है । विभागीय जांच से संबंधित जो निर्णय मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गये हैं, उन सभी प्रकरणों में निर्धारित दोषारोपण के आधार पर कार्यवाही की गई थी और यदि उन आरोपों के संबंध में कोई जानकारी किसी भी दोषी को नहीं दी जाती है तो उससे उसके बचाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है लेकिन यह विषय सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित नहीं है ।

8 अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने दूसरा बिन्दु यह उठाया है कि अधिनियम की धारा 8 (1)(जे) में यह प्रावधान किया गया है जो जानकारी विधान सभा या संसद में दी जा

सकती है तो वह जानकारी किसी भी नागरिक को प्रदान की जा सकती है । उन्हें यह निर्देश दिये गये थे कि वे उन प्रकरणों के उदाहरण प्रस्तुत करें जिसमें किसी व्यक्ति की गोपनीय चरित्रावली की जानकारी विधान सभा में दी गई हो । इस प्रकार की कोई भी जानकारी उनके द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत नही की गई है जिसमें किसी व्यक्ति की गोपनीय चरित्रावली की प्रति मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत की गई हो । विधान सभा के नियमों में भी ऐसा कोई प्रावधान नही है कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना विधान सभा में प्रस्तुत की जायेगी ।

9 गोपनीय चरित्रावली की जानकारी और छानबीन समिति की जानकारी व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है और सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के अन्तर्गत उसे देने के लिये कोई भी लोक प्राधिकारी बाध्य नही है यद्यपि कि यह जानकारी उसी व्यक्ति के व्दारा मांगी गई जिसके संबंध में है । इस प्रकार की जानकारी देने के लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के नियमों में कोई प्रावधान नही है ।

10. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील अमान्य की जाती है ।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त